**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला शाहपुरा**
**पीठासीन अधिकारी – श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर.ए.एस.**

| प्रकरण सं0 – | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 95 / 2021 / प्रार्थना पत्र | 08.03.2021 | 03.01.2024 |

## उनवान

1– श्री हरजी पिता लालु चमार निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– श्रीमती उदी पत्नी श्री भैरू चमार निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– श्रीमती कमला पत्नी श्री उगमा चमार निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– कालु पिता उगमा चमार निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– श्री खाना पिता लालु चमार निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– श्री गणेश पुत्र श्री भैरू चमार निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
7– श्री घनश्याम पुत्र श्री उगमा चमार निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8– भुला पुत्री श्री उगमा चमार निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
9– राधेश्याम पिता उगमा चमार निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
10– सायरी उर्फ फोरी पुत्री श्री भैरू चमार निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
11– श्री हरी पुत्र श्री उगमा चमार निवासी लुलांस
12– श्री हरीराम पुत्र श्री उगमा चमार निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

## बनाम

1– श्री चन्द्रा पुत्र श्री लादू जाट निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– अणछी पुत्री श्री हीरा पत्नी बद्री जाट निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा हाल नि० किशनगढ़
3– श्री देबी पुत्र श्री हीरा जाट निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– श्री देबी पुत्र श्री हीरा जाट निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
5– प्रेम पुत्री श्री हीरा पत्नी मगना जाट निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा हाल नि० चलानिया तहसील जवान शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– श्री भगवान उर्फ रामलाल पुत्र श्री लादू जाट निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– रामु पुत्री श्री लादू पत्नी भैरू जाट निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी ढ़ीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8– श्री रामस्वरूप पुत्र श्री लादू जाट निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
9– श्रीमती सोसर पत्नी श्री लादू जाट निवासी लुलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
10– शाखा प्रबंधक महोदय आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमि० शाखा जाऊ एस.के. प्लाजा भीलवाडा जिला भीलवाड़ा
11– राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अतंगर्त धारा 251 (क) (उपधारा 1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थिति – **श्री मोहम्मद शरीफ :– अभिभाषक प्रार्थीगण**

## निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम लुलास प०ह लुलास भू०अ०नि०क्षै० लुलास तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 66 में आराजी सं. 470 रकबा 0.35 है0, 471 रकबा 0. 34 है0 कुल किता 2 रकबा 0.69 है0 स्थित हैं । प्रार्थीगण के कृषि आराजीयात के पडौस में विपक्षीगण संख्या 1 से लगायत 9 की कृषि आराजीयत सं0 468 रकबा 1.41 है0 भी ग्राम लुलास प०ह लुलास भू०अ०नि०क्षै० लुलास तह० शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित है जो प्रार्थीगण के आने जाने वाली आराजियात है। प्रार्थीगण सं. 4 एवं 9 जमाबंदी मे नाबालिक खातेदार के रूप मे दर्ज है किन्तु वर्तमान में प्रार्थीगण सं. 4 व 9 बालिग हो चुकें है। इस कारण प्रार्थीगण सं. 4 व 9 को जरिये माता संरक्षिका पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 मे वर्णित उक्त कृषि आराजीयात को उपयोग उपभोग में लेने के लिए एक मात्र रास्ता विपक्षीगण सं. 1 लगायत

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

9 कि कृषि आराजीयात जो की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित है के आराजी सं. 468 के पूर्वी दिशा की मेड से प्राप्त करना चाहते हैं जो की मुख्य रास्ता आराजी संख्या 415 से प्रारम्भ होगा तथा आराजी सं० 468 मे खत्म होगा। उक्त रास्ता प्रार्थीगण 20 फीट चौड़ा प्राप्त विपक्षीगण सं. 1 से 9 से करना चाहते हैं। तथा उक्त रास्ते की लम्बाई प्रार्थीगण के कृषि भूमि पर पहुचें उस लम्बाई तक प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करना चाहते है। इस हेतू नजरी नक्शे पर प्रार्थीगण के द्वारा लाल स्याही से रास्ते का अंकन किया गया है तथा उक्त नजरी नक्शा उक्त प्रार्थना पत्र का हिस्सा है तथा उक्त नजरी नक्शे अनुसार प्रार्थीगणो के खेत ई एफ जी एच है तथा उक्त खेत पर जाने के लिए विपक्षी सं. 1 लगायत 9 के आराजी सं. 468 के पूर्वी दिशा के ए बी सी डी से रास्ता प्राप्त करना चाहते है। प्रार्थीगण उक्त आराजी मे आने जाने का एक मात्र रास्ता व अत्यातिंक आवश्यक उक्त कदिमी रास्ता ही है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण काफी वर्षो से प्रार्थना पत्र के पैरा सं० 2 में वर्णित रास्ते के मेड के रूप मे उपयोग उपभोग कर रहें तथा इसी रास्ते पर जो वर्तमान में विपक्षीगण सं. 1 लगायत 9 के खाता सं0 292 में दर्ज हैं उसी पर होते हुए प्रार्थीगण बैलगाड़ी ट्रैक्टर, हल, कृषि उपकरण लाते ले जाते हैं तथा अपनी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग शान्ति पूर्ण ढंग से कर रहें हैं लेकिन इसी फसली वर्ष दिसम्बर 2020 में विपक्षीगण के द्वारा उक्त रास्ते को बन्द कर दिया और यह कहा कि राजस्व रिकार्ड में रास्ता नही हैं इस कारण प्रार्थीगण को उनकी कृषि आराजीयात में जाने से रोक दिया । प्रार्थीगण की स्वंय की कृषि आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र रास्ता बन्द हो गया। इस कारण इस बात अपनी कृषि भूमि को फसल काश्त नही कर सके जिससे प्रार्थीगण को आर्थिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ा हैं और भविष्य में आर्थिक रूप से कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। प्रार्थीगण के पास कोई भी वैकल्पिक मार्ग (रास्ता) उपलब्ध नही हैं। प्रार्थीगण उक्त रास्ता 20 फीट चौड़ा एवं प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात तक की लम्बाई का रास्ता विपक्षीगण की कृषि भूमि से प्राप्त करना चाहता हैं इस वजह से बाजार मुल्यांकन राशि नियमानुसार रास्ते की विपक्षीगण सं. 1 लगायत 9 को प्रार्थीगण राशि अदा करने हेतू तैयार एवं तत्पर हैं। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि को उपयोग उपभोग एवं काश्त करने एवं ट्रैक्टर ट्रोली, बैलगाडी, हल एवं कृषि उपकरण एवं फसल को लाने ले जाने हेतू मार्ग से जो की प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित हैं पर 20 फीट चौड़ा रास्ता एवं मुख्य रास्ता आराजी संख्या 415 के यहाँ से प्रारम्भ होता हुआ प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात तक की लम्बाई का रास्ता नया मार्ग प्रार्थीगण विपक्षीगण सं. 1 लगायत 9 की आराजीयत से प्राप्त करना चाहते हैं जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का सुचारू रूप से उपयोग उपभोग कर सके। प्रार्थीगण को विपक्षीगण के द्वारा पूर्व में मौजूद रास्ते में नही निकले देने से तथा इस वर्ष फसल काश्त नही करने की वजह से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता दिसम्बर 2020 से उत्पन्न हुई। प्रार्थीगण जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस दिनांक 18.02.2021 को लेने से निरन्तर वाद हेतू उत्पन्न होकर जारी है। पक्षकारान की कृषि भूमि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित हैं तथा प्रार्थना पत्र की चरण सं० 2 में वर्णित नया रास्ता प्रार्थीगण 20 फीट चौड़ा एवं प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात में पहुचने तक की लम्बाई वाला रास्ता प्राप्त करना चाहते हैं तथा उक्त नया रास्ता को राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी व नक्शा ट्रैस) में रास्ता दर्ज किये जाने की अनुमति प्रदान करने का श्रीमान् को अधिकार होने से यह उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् के श्रृवणायोग्य हैं। यह है कि विपक्षी संख्या 11 लैण्ड हौल्डर हैं इस कारण आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। नये रास्ता का राजस्व दस्तावेजों मे अंकन विपक्षी सं. 11 के द्वारा किया जाना है इस कारण पक्षकार बनाया गया है। विपक्षीगण संख्या 1 के द्वारा एवं विपक्षीगण सं. 1 लगायत 9 के द्वारा उक्त कृषि भुमी को विपक्षी सं. 10 के यहा रहन रख रखी हैं इस कारण आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है इसलिए उनके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थना पत्र की ताईद में हरजी का शपथ पत्र संलग्न है। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें । एवं प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पहुचने के लिए नया रास्ता 20 फीट चौड़ा एवं प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात तक की लम्बाई जितना रास्ता विपक्षीगण सं. 1 लगायत 9 की कृषि आराजीयात जो प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में वर्णित अनुसार नया रास्ता राजस्व रिकार्ड के चालु जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस में रास्ता अंकित कियें जाने का आदेश की स्वीकृति प्रदान करायी जावे तथा प्रार्थीगण को नया रास्ता दिलाया जाने का ओदश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 24.03.2021 को विपक्षीगण सं. 2 व 10 को छोड़कर शेष समस्त विपक्षीगणों के सम्मन बाद तामिल लौटे। विपक्षीगण सं. 10 की ओर से अभिभाषक श्री आशीष पालीवाल एवं विपक्षीगण सं. 1 तथा 3 लगायत 9 की ओर से अभिभाषक श्री अनिल शर्मा द्वारा अण्डर टेकिंग ली गयी। दिनांक 07.04.2021 को विपक्षीगण सं. 1, 2, 4 लगायत 9 की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश चंद्र व्यास द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षीगण सं. 03 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 16.04.2021 को विपक्षीगण सं. 10 की ओर से अभिभाषक श्री आशीष पालीवाल ने अधिकार पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

21.08.2023 को विपक्षीगण सं. 1, 2, 4 लगायत 9 का जवाब बंद किया गया। दिनांक 03.01.2024 को प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गयी।

बहस में अभिभाषक प्रार्थीगण ने बताया कि तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार विपक्षीगण की आराजी सं. 468 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। उस रास्ते से प्रार्थीगण वर्षों से आते जाते रहे है। एवं प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता ही लघुत्तम रास्ता होने से रास्ता दिलाये जाने के आदेश बक्षावें।एवं तहसीलदार शाहपुरा से रास्ता हेतु वांछित भूमि की डीएलसी दर अनुसार मालियत की जो भी राशि बनेगी वह प्रार्थीगण राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिलाने की कृपा करावें।

बहस पर मनन, प्रकरण एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मार्ग दिया जाना अत्यांतिक आवश्यक होना बताया गया है। एवं भू0अ0निरीक्षक लुलास की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी आराजी सं0 468 में रास्ता चाहते जबकि विपक्षीगण आराजी नम्बर 469 में रास्ता देना को सहमत है। अराजी नम्बर 468 में से प्रस्तावित रास्ता 120 मीटर लम्बा एवं 469 में से प्रस्तावित रास्ता 140 मीटर लम्बा है। अतः भू0अ0निरीक्षक लुलास एवं पटवारी हल्का लुलास की संयुक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए स्वीकार किया जाना उचित समझता एवं आराजी नम्बर 468 मे से प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम होने से उक्त आराजियात में से ही रास्ता दिया जान उचित समझता हूं।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट एवं भू0अ0निरीक्षक लुलास द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट एवं रास्ता प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर पहुंच हेतु निम्न सारणी अनुसार खातेदारान की आराजियात में से रास्ता दिया जाना है।

| क्र. सं. | नाम खातेदारान | आराजी नम्बर | कुल रकबा है0 में | रास्ते हेतु वांछित भूमि ल. × चौ. वर्ग मीटर में | रास्ते हेतु वांछित भूमि का रकबा है0 में | वि0वि0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अणछी पुत्री हीरा जाट 1/8 सादेह खातेदार वगैरह | 468 | 1.41 | 120 × 6 | 0.072 | विपक्षीगण सं0 01 लगायत 09 |

## आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बच्छखेड़ा प0म0 वच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी 470, 471 तक पहुंचने हेतु विपक्षी सं0 01 लगायत 09 की आराजी सं0 468 रकबा 01.41 है0 में से 120 मीटर लम्बा × 6 मीटर चौड़ा रास्ता हेतु 0.072 है0 भूमि भूमि की आवश्यकता होगी।

उक्त सारणी में अंकित विपक्षीगण के सामने कॉलम सं0 06 में अंकित रास्ते हेतु आवश्यक भूमि की डीएलसी दर अनुसार मालियत की दुगनी राशि संबंधित काश्तकारान को भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त उक्तानुसार रास्ता राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त रास्ते का नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

**आदेश आज दिनांक 03.01.2024 सरे ईजलास सुनाया गया।**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :—

तहसीलदार शाहपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रास्ते हेतु वांछित भूमि की डीएलसी दर अनुसार मालियत की दुगनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी को भुगतान करने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम की कार्यवाही करें।

संलग्न :— नक्शा ट्रेस की प्रति

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा